

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2477/2026

Smt. Jagwant Kaur Alias Happy W/o Praveen Kumar, Aged About 29 Years, Daughter Of Late Mahendra Singh, Resident Of 1 C Badi Odki, Police Station Hindumalkot, District Sriganganagar, Rajasthan.

(Presently Lodged In District Jail, Sri Ganganagar)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री पंकज कुमार गुप्ता
For Respondent(s)	:	श्री ललित किशोर सैन, लोक अभियोजक श्री अंकित घोड़ेला

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— हिन्दूमलकोट, जिला— गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 35/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420 सपठित धारा 120(बी) भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को धारा 420, 120(बी) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अभियुक्ता व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध यह आक्षेप है कि उन्होंने परिवादी को नौकरी दिलाने का झूठा झांसा देकर उससे 3,50,000/— रुपये प्राप्त कर लिये। इस संदर्भ में प्रार्थीया/अभियुक्ता अधिवक्ता का कथन है कि परिवादी का उक्त कृत्य अपने आप में अवैध कृत्य है। प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है और लंबे

समय से अभिरक्षा में चल रही हैं। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा प्रकरण में परिवादी को पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर तीन लाख पचास हजार रुपये की राशि की मांग की गयी है और इस तरह के कृत्य प्रार्थीया/अभियुक्ता ने पूर्व में अन्य लोगों के साथ भी कारित किये है, अभी प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है तथा अभियोग पत्र पेश होना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी आक्षेपित नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क, प्रार्थीया/अभियुक्ता की अभिरक्षात्मक अवधि व प्रार्थीया/अभियुक्ता के महिला होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **जगवंत कौर उर्फ हैप्पी पत्नी प्रवीण कुमार पुत्री स्व. महेंद्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J